रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940
No. 51] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 53(अ).—मजदूरी संदाय अधिनियम, **1936 (1936** का **4)** की धारा **26** की उपधारा **(5)** द्वारा यथा-अपेक्षित,अन्य नियमों के साथ, मजदूरी संदाय (खान) नियम, **1956** को और संशोधित करने हेतु कतिपय नियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-**II,** खण्ड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. **413(**अ**),** तारीख **23** अप्रैल, **2018** के माध्यम से, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को समाविष्ट किए राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं; तीन मास की अवधि के भीतर उन सभी व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया किया गया था जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को **23** अप्रैल, **2018** को उपलब्ध कराई गई थीं; और जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा **26** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय (खान) नियम, **1956** को और संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मजदूरी संदाय(खान) संशोधन नियम, **2019** है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मजदूरी संदाय **(**खान**)** नियम, **1956** में, नियम **18** के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

'18. वार्षिक विवरणी,- प्रत्येक नियोजक प्रत्येक वर्ष **1** फरवरी को अथवा उससे पूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेबपोर्टल पर पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के बारे में सूचना देते हुए प्रपत्र **V** में एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा:

परंतु यह कि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक इलैक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा रखे गए लेखों, बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण,- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "इलैक्ट्रॉनिक रूप" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खण्ड (द) में है'।

[फा. सं. जैड-20025/19/2018-एलआरसी]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ 776 तारीख 30 नवम्बर, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 351 (अ) तारीख 01 मई, 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

G.S.R. 53(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956, among other rules, were published as required by sub-section (5) of section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 413(E), dated the 23rd April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months, from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the general public on the 23rd April, 2018;

And whereas the objections and suggestions received on the said draft rules from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956, namely:-

1. (1) These rules may be called the Payment of Wages (Mines) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956, for rule 18, the following rule shall be substituted, namely:-

'18. Annual return.- Every employer shall, on or before the 1st day of February in each year, upload unified annual return in Form V on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the inspector may require the production of accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).'.

[F. No. Z-20025/19/2018-LRC]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Payment of Wages (Mines) Rules, 1956 was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 776, dated the 30th November, 1956 and lastly amended vide notification number G.S.R. 351(E), dated the 1st May, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.30 22:54:16 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940
No. 52] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 54(अ).—मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 26 की उपधारा (5) द्वारा यथा अपेक्षित, अन्य नियमों के साथ, मजदूरी संदाय (रेल)नियम, 1938 को और संशोधित करने हेतु कतिपय नियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2018 के माध्यम से, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को समाविष्ट किए राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं; तीन मास की अवधि के भीतर उन सभी व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को **23** अप्रैल**, 2018** को उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय (रेल) नियम, 1938 को और संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मजदूरी संदाय(रेल) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मजदूरी संदाय (रेल) नियम, 1938 में, नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'17. **वार्षिक विवरणी**,- प्रत्येक नियोजक प्रत्येक वर्ष **1** फरवरी को अथवा उससे पूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेबपोर्टल पर पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के बारे में सूचना देते हुए प्रपत्र **III** में एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा:

परंतु यह कि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक इलैक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा रखे गए लेखों, बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण,- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "इलैक्ट्रॉनिक रूप" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसकी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खण्ड **(द)** में है'।

[फा. सं. जैड-20025/20/2018-एलआरसी]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मजदूरी संदाय (रेल) नियम, 1938 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल.3070 (1), तारीख 5 मई, 1938 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 353 (अ) तारीख 01 मई, 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

G.S.R.54(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Payment of Wages (Railways) Rules, 1938, among other rules, were published as required by sub-section (5) of section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 413(E), dated the 23rd April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months, from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the general public on the 23rd April, 2018;

And whereas the objections and suggestions received on the said draft rules from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Payment of Wages (Railways) Rules, 1938, namely:-

1. (1) These rules may be called the Payment of Wages (Railways) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Wages (Railways) Rules, 1938, for rule 17, the following rule shall be substituted, namely:-

'17. Annual return.- Every employer shall, on or before the 1st day of February in each year, upload unified annual return in Form III on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the inspector may require the production of accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).'.

[F. No. Z-20025/20/2018-LRC]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Payment of Wages (Railways) Rules, 1938 was published in the Gazette of India *vide* notification number L.3070 (1), dated the 5th May, 1938 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 353(E), dated the 1st May, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.31 17:03:28 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940
No. 53] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि.55(अ).—मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 26 की उपधारा (5) द्वारा यथा अपेक्षित, अन्य नियमों के साथ, मजदूरी संदाय (विमान परिवहन सेवा) नियम, 1968 को और संशोधित करने हेतु उन कतिपय नियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2018 के माध्यम से, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को समाविष्ट किए सरकारी राज्यपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं; तीन माह की अवधि के भीतर उन सभी व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 23 अप्रैल, 2018 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा जबकि जनता से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय (विमान परिवहन सेवा) नियम, 1968 को और संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मजदूरी संदाय (विमान परिवहन सेवा) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मजदूरी संदाय (विमान परिवहन सेवा) नियम,1968 में, नियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'18. वार्षिक विवरणी,- प्रत्येक नियोजक प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को अथवा उससे पूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के वेबपोर्टल पर प्रपत्रVIII में पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के बारे में सूचना देते हुए प्ररूप एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा:

परंतु यह कि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा रखे गए लेखों, बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक रूप" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खण्ड (द) में है'।

[फा. सं. जैड-20025/21/2018-एलआरसी]

मनीष कुमार गुप्ता,संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मजदूरी संदाय (विमान परिवहन सेवा)नियम, 1968 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ 3036/पीडब्ल्यूए/विमान सेवा नियम 68 तारीख 5 अगस्त,1968 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 352 (अ) तारीख 01 मई, 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

G.S.R. 55(E).— Whereas a draft of certain rules further to amend the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968, among other rules, were published as required by sub-section (5) of section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 413(E), dated the 23rd April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months, from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the general public on the 23rd April, 2018;

And whereas the objections and suggestions received on the said draft rules from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968, namely:-

1. (1) These rules may be called the Payment of Wages (Air Transport Services) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968, for rule 16, the following rule shall be substituted, namely:-

'16. Annual return.- Every employer shall, on or before the 1st day of February in each year, upload unified annual return in Form VIII on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the inspector may require the production of accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).'.

[F. No. Z-20025/21/2018-LRC]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note:- The Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968 was published in the Gazette of India vide notification number S.O. 3036/PWA/ Air Service Rules 68, dated the 5th August, 1968 and lastly amended vide notification number G.S.R.352(E) dated the 1st May, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.31 17:17:24 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940
No. 54] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 56(अ).—जबकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 30 की उप-धारा (i) द्वारा यथापेक्षित न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 को अन्य नियमों के साथ पुनः संशोधित करने के लिए भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में कतिपय नियमों का प्रारुप प्रकाशित कर दिया गया था और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अन्तर्गत इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियाँ तारीख 23 अप्रैल, 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त नियमों के प्रारुप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

इसलिए, केन्द्रीय सरकार अब उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 में,-

(क) नियम 21 में उप-नियम (4क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा,

'(4क) प्रत्येक नियोजक प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को अथवा इससे पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के वेब पोर्टल पर पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के बारे में सूचना देते हुए प्रपत्र–III में एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा:

परन्तु यह है कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षक इलैक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा रखे गए लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रॉनिक रूप" 'शब्द का अर्थ वही होगा जो इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में है।'

(ख) प्रारूप 3 में "नियम 21 (4क) (1)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर "नियम 21 (4क)"शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

[सं. जेड-20025/22/2018-एलआरसी]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 776 तारीख 14 अक्टूबर, 1950 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182 (अ) तारीख 12 मार्च, 2015 को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

G.S.R. 56 (E).— Whereas a draft of certain rules further to amend the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, among other rules, were published as required by sub-section (1) of section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 413(E), dated the 23rd April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months, from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the general public on the 23rd April, 2018;

And whereas the objections and suggestions received on the said draft rules from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, namely:-

1. (1) These rules may be called the Minimum Wages (Central) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Wages (Central) Rules, 1950,-

(a) in rule 21, for sub-rule (4A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

'(4A) Every employer shall, on or before the 1st day of February in each year, upload unified annual return in Form III on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the inspector may require the production of accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).';

(b) in Form III, for the word, figures, brackets and letter "Rule 21(4A)(1)", the word, figures, brackets and letter "Rule 21(4A)" shall be substituted.

[No. Z-20025/22/2018-LRC]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Minimum Wages (Central) Rules, 1950 was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 776, dated the 14th October, 1950 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 182(E) dated the 12th March, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.31 10:25:23 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940
No. 55] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 57(अ).—जबकि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,1961 (1961 का 11) की धारा 28 की उप-धारा (i) द्वारा यथापेक्षित प्रसूति प्रसुविधा (खान और सर्कस) नियम, 1963 को अन्य नियमों के साथ और संशोधित करने के लिए भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2018 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में कतिपय नियमों का प्रारुप प्रकाशित कर दिया गया था और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अन्तर्गत इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियाँ तारीख 23 अप्रैल, 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त नियमों के प्रारुप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

इसलिए, केन्द्रीय सरकार अब उक्त अधिनियम की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रसूति प्रसुविधा (खान और सर्कस) नियम, 1963 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसूति प्रसुविधा (खान और सर्कस) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रसूति प्रसुविधा (खान और सर्कस) नियम, 1963 में नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(16) **वार्षिक विवरणी-** प्रत्येक खान या सर्कस का नियोजक प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को अथवा इससे पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के वेब पोर्टल पर पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के बारे में सूचना देते हुए प्रपत्र–X में एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा:

परन्तु यह कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षक इलैक्ट्रॉनिक रुप में अथवा अन्यथा रखे गए लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रॉनिक रुप" शब्द का अर्थ वही होगा जो इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) है।

(2) यदि एक खान या सर्कस जिसको अधिनियम लागू होता है, का नियोजक खान या सर्कस का विक्रय करता है, परित्याग करता है या बंद करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे विक्रय या परित्याग की तारीख से एक मास के भीतर या इस प्रकार बंद करने की तारीख से चार मास के भीतर केन्द्रीय सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेब पोर्टल पर पूर्ववर्ती वर्ष के अंत और विक्रय या परित्याग या बंद करने की तारीख से मध्य की अवधि के संबंध में उपनियम (i) में निर्दिष्ट प्रारूप–X में और एकीकृत विवरणी ऑनलाइन अपलोड करेगा।

[सं. जेड-20025/23/2018-एलआरसी]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: प्रसूति प्रसुविधा (खान और सर्कस) नियम, 1963 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ.1642 द्वारा तारीख 05 अक्टूबर, 1963 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.435 (अ) के अनुसार तारीख 29 मई, 2015 को संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

G.S.R. 57(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules 1963, among other rules, were published as required by sub-section (1) of section 28 of the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 413(E), dated the 23rd April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months, from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the general public on the 23rd April, 2018;

And whereas the objections and suggestions received on the said draft rules from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules, 1963, namely:-—

1. (1) These rules may be called the Maternity Benefit (Mines and Circus) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules, 1963, for rule 16, the following rule shall be substituted, namely:—

'16. Annual return.- (1) The employer of every mine or circus shall, on or before the 1st day of February in each year, upload a unified annual return in Form X online on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the inspector may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(2) If the employer of a mine or circus to which the Act applies sells, abandons or discontinues the working of the mine or circus, then, he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance, as the case may be, upload online, on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, a further unified return in Form X referred to in sub-rule (1) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of the sale, abandonment or discontinuance.'.

[No. Z-20025/23/2018-LRC]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules, 1963 was published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R.1642, dated the 5th October, 1963 and lastly amended *vide* notification number G.S.R.435(E) dated the 29th May, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.01.31 10:22:34 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940
No. 56] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 58(अ).—जबकि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में बोनस संदाय नियम, 1975 को अन्य नियमों के साथ और संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप प्रकाशित किया गया था और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियाँ तारीख 23 अप्रैल, 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त नियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

इसलिए, केन्द्रीय सरकार अब बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 31) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोनस संदाय नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बोनस संदाय (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. बोनस संदाय नियम, 1975 के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्—

'**(5) वार्षिक विवरणी-** प्रत्येक नियोजक प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को अथवा इससे पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के वेब पोर्टल पर पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अनुसार सूचना देते हुए प्रपत्र–घ में एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा :

परन्तु यह कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षक इलैक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा रखे गए लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण - इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रॉनिक रूप" शब्द का अर्थ वही होगा जो इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में है।'

[सं. जेड-20025/24/2018-एलआरसी]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: बोनस संदाय नियम, 1975 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 2367 तारीख 21 अगस्त, 1975 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1115 (अ) तारीख 06 दिसम्बर, 2016 को संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

G.S.R. 58(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Payment of Bonus Rules, 1975, among other rules, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 413(E), dated the 23rd April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months, from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the general public on the 23rd April, 2018;

And whereas the objections and suggestions received on the said draft rules from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Payment of Bonus Act, 1965 (31 of 1965), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Payment of Bonus Rules, 1975, namely:—

1. (1) These rules may be called the Payment of Bonus (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Bonus Rules, 1975, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

'5. **Annual return.-** Every employer shall, on or before the 1st day of February in each year, upload unified annual return in Form D on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the inspector may require the production of accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).'.

[No. Z-20025/24/2018-LRC]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Payment of Bonus Rules, 1975 was published in the Gazette of India dated the 6th September, 1975 *vide* notification number G.S.R. 2367, dated the 21st August, 1975 and lastly amended *vide* notification number G.S.R.1115(E) dated the 6th December, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.01.30 20:05:29 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940
No. 57] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 59(**अ**).—जबकि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 38 की उप धारा (i) द्वारा यथापेक्षित औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 को अन्य नियमों के साथ और संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारुप प्रकाशित कर दिया गया था और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियाँ तारीख 23 अप्रैल, 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त नियमों के प्रारुप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

इसलिए, केन्द्रीय सरकार अब उक्त अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 में नियम 56 क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगाः—

"56क वार्षिक विवरणी- प्रत्येक नियोजक प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को अथवा इससे पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के वेब पोर्टल पर पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के बारे में सूचना देते हुए प्रपत्र छ1 में एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड प्रदान करेगा।

परंतु यह कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षक इलैक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा रखे गए लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रॉनिक रूप" शब्द का अर्थ वही होगा जो इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में है।"

[फा. सं. जेड-20025/25/2018-एलआरसी]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: औद्योगिक विवाद (केंद्रीय)नियम, 1957 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 770 तारीख 10 मार्च, 1957 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 417 (अ) दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

G.S.R. 59(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, among other rules, were published as required by sub-section (1) of section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification of the Government of India in theMinistry of Labour and Employment number G.S.R. 413(E), dated the 23rd April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months, from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the general public on the 23rd April, 2018;

And whereas the objections and suggestions received on the said draft rules from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules,1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Industrial Disputes (Central) Amendment Rules,2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Industrial Dispute (Central) Rules, 1957, for rule 56A, the following rule shall be substituted, namely:—

'56A. Annual return.—Every employer shall, on or before the 1st day of February in each year, upload unified annual return in Form G1 on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the inspector may require the production of accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).'.

[F. No. Z-20025/25/2018-LRC]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Industrial Dispute (Central) Rules, 1957 was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 770, dated the 10th March, 1957 and lastly amended vide notification number G.S.R.417(E) dated the 25th May, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.31 17:07:46 +05'30'